

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

अनिल कुमार गुप्ता

सीताराम गुप्ता

9/5, अमल तारा, नीति बाग कालोनी

राजपुर-पुंगी अमरा

महोदय/महोदया,

P-3 (Kh No.-375 से 378)

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिष्कृत तारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

भवदीय

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि- 1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।

2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

SPECIFICATIONS

Structure	Seismic zone III complaint R.C.C. Frame Structure with 3.2 mtr. clear height.
Floorings	800 x 800 mm Digital vitrified in living / Dining room. 600 x 600 mm Digital Vitrified Tiles flooring in all rooms and anti-skid tiles in toilets. Wooden floorings in Master Bedroom
Toilets	Provision for Hot & Cold water supply through concealed Composite/CPVC pipes, Parryware/ Jaguar make E.W.C/Orissapan & wash basin , C.P. fittings (Jaguar), Digital Wall Tiles 12"x24" up to 7 ft. height.
Kitchen	Modular Kitchen with granite polished working top and stainless steel sink. Provision for Hot & Cold water supply & tiles up to 2 ft. height above working top.
Doors & Windows	Seasoned hardwood frames with grill & glass, provision of fly proof shutters Internal doors - commercial board, Main entry door - decorative.
Electric Work	Adequate Lights / Fans, sockets, TV points, concealed copper (ISI) wiring (RR Kabal/Finolex), Modular switches, M.C.B. & Inverter wiring. Guyser in all toilets,
Internal finish	P.O.P. punning & cornice in all internal areas with emulsion paint & enamel paint on doors & windows.
External finish	Maintenance free texture paint as per elevation features.